शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा

हरियाणा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के प्रापर्टी धारकों के लिए विशेष सूचना

हरियाणा के सभी नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका के निरीक्षण में सर्वे एजेन्सी द्वारा सम्पत्तिकर (प्रापर्टी टैक्स) निर्धारण हेतू सभी प्रापर्टियों का डिजीटल सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस सर्वेक्षण के दौरान सभी प्रापर्टी की पहचान के लिए प्रत्येक प्रापर्टी को आई0डी0 दी गई है। सर्वेक्षण के दौरान प्रापर्टी आई0डी0 में विवरण अंकित करने में निम्नलिखित कारणो के फलस्वरूप परेशानी हुई :–

- कई प्रापर्टी धारकों द्वारा अपनी प्रापर्टी का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया।
- कई प्रापर्टी धारकों द्वारा अपनी प्रापर्टी का सर्वेक्षण नहीं करने दिया।
- कई खाली प्लाट धारकों की पहचान न होने के कारण उन खाली प्लाटों का विवरण उपलब्ध नहीं हुआ।

सर्वे एजेन्सी द्वारा समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचनाएं भी प्रकाशित की तथा Online व Offline आवेदन भी मांगे। सर्वे एजेन्सी को प्राप्त हुए आवेदनों के अनुसार सर्वेक्षण डाटा में सुधार भी किया गया। इस कार्य हेतू सम्बन्धित पालिकाओं ने सर्वे डाटा को चैक करके आयुक्त/जिला नगर आयुक्त के सुपरविजन में सर्टिफिकेट भी प्रदान किए हैं। इसके पश्चात् शहरी स्थानीय निकाय विभाग के **portal https://ulbhryndc.org** पर यह डाटा upload किया गया। जिसमें सम्बन्धित पालिका द्वारा पुराने प्रापर्टी रजिस्ट्रर में दर्ज प्रापर्टी आई0डी0 के आधार पर नई प्रापर्टी आई0डी0 के साथ निम्नलिखित विवरण दिया है :–

- नई प्रापर्टी आई0डी0 को पुरानी प्रापर्टी आई0डी0 से Integrate किया।
- प्रापर्टी टैक्स के dues update किए।
- प्रापर्टी approved/unapproved colony में स्थित है, उसका विवरण दिया।

इस प्रक्रिया में अभी भी कई नई प्रापर्टी आई0डी0 पुरानी आई0डी0 से Integrate नहीं हुई है। इसके लिए सम्बन्धित पालिका द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया online प्रारम्भ कर डाटा अपडेशन किया जा रहा है :–

- पुरानी प्रापर्टी आई0डी0 को नई प्रापर्टी आई0डी0 से Integrate करना।
- प्रापर्टी में owner/occupier के नाम ठीक करना तथा प्रापर्टी टैक्स dues ठीक करना।
- Approved/unapproved colony का विवरण ठीक करना।
- जिन प्रापर्टी आई0डी0 के owner/occupier का नाम नहीं है, उसमें दस्तावेज के आधार पर विवरण देना।

यह प्रक्रिया सम्बन्धित आयुक्त/जिला नगर आयुक्त के सुपरविजन में प्रारम्भ की गई है।

आप सभी से भी अनुरोध है कि आप http://ulbhryndc.org पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोपर्टी आई0डी0 कालोनी, नाम या नक्शे पर प्रोपर्टी की पहचान करके उसमें वर्णित विवरण को चैक कर सकते है। यदि उनमें कोई सुधार चाहते हैं तो online ही portal पर “Raise Objection” पर जाकर अपना नया विवरण दस्तावेजों के साथ upload कर सकते है या offline सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका में दे सकते हैं ताकि आयुक्त/जिला नगर आयुक्त के सुपरविजन में आपके प्रोपर्टी विवरण को दुरूस्त किया जा सके।

आप नीचे वर्णित QR Code को Scan करके भी पोर्टल पर अपना विवरण चैक कर सकते है।

QR Code

NDC Portal

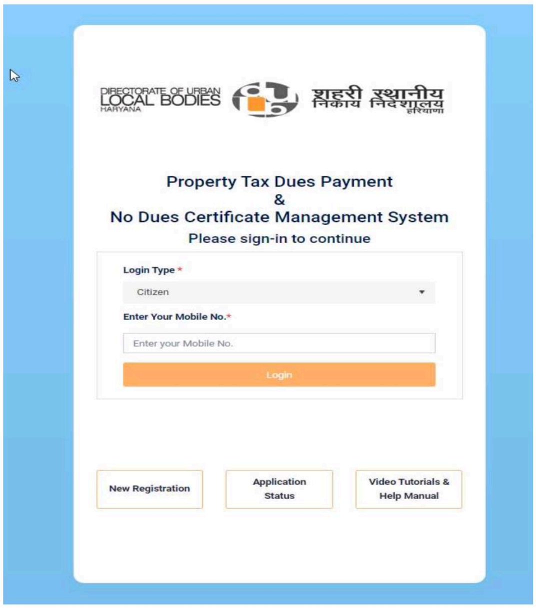

Raise Objection